

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर


क्रमांक-एफ 23(45)लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा./2021-22/ 86)

दिनांक- 08/12/2021

परिपत्र

जन घोषणा विन्दु संख्या 22.1 की क्रियान्विति हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना से अल्पसंख्यक वर्ग की 12 वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 500/- रुपये मासिक (5000/- वार्षिक) की अतिरिक्त सहायता वर्ष 2019-20 से निरन्तर उन छात्राओं को ही दी जावेगी जोकि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पात्र है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 102000453 द्वारा अनुमोदित है।


(शुचि ह्यात्म) २५
आयुक्त


कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(45)लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा./2021-22/ 862 - 867

दिनांक- 08/12/2021

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव उच्च शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान, जयपुर
5. समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय राजस्थान
6. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।


(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर